रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2271] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 1, 2011/अग्रहायण 10, 1933

No. 2271] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 1, 2011/AGRAHAYANA 10, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2011

आय-कर

का.आ. 2724(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (नौवाँ संशोधन) नियम, 2011 है

(2) ये 1 अप्रैल, 2012 को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''उक्त नियम'' कहा गया है), के नियम 40ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''कतिपय सीमित दायित्व भागीदारियों द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंध''

40खक. अकाउंटेन्ट की रिपोर्ट जिसका धारा 115जग की उप-धारा (3) के अधीन निर्धारिती द्वारा दिया जाना अपेक्षित है, प्ररूप सं. 29ग में होगी ।''

3. उक्त नियमों के परिशिष्ट 2 में, प्ररुप सं. 29ख के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररुप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

4376 GI/2011

"प्ररूप सं0 29ग
[नियम 40खक देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115जग के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी की समायोजित कुल आय और वैकल्पिक न्यूनतम कर की संगणना करने के लिए रिपोर्ट

1. मैंने/हमने* 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए समायोजित कुल आय और वैकल्पिक न्यूनतम कर के परिनिर्धारण के लिए (कारबार की प्रकृति) के कारबार में लगे हुए (स्थायी लेखा संख्यांक के साथ निर्धारिती का नाम और पता) के लेखे और अभिलेखों की परीक्षा कर ली है ।

2. (क) मैं/हम* यह प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि समायोजित कुल आय और वैकल्पिक न्यूनतम कर की संगणना आय-कर अधिनियम के अध्याय 12खक के उपबंधों के अनुसार की गई है । निधारर्ण वर्ष.................... की बाबत आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन संदेय कर........................रुपये है, जिसे इस प्ररुप के उपाबंध क में दिए गए ब्यौरों के आधार पर अवधारित किया गया है ।

3. मेरी/हमारी* राय में और मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और मुझे/हमें* दिऐ गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपाबंध क में दी गई विशिष्टियां सही और ठीक हैं ।

तारीख

....

हस्ताक्षरित

अकाउंटेन्ट

टिप्पण :

1. *जो लागू न हो उसे काट दें ।
2. यह रिपोर्ट निम्नलिखित द्वारा दी जानी है ।

(i) चार्टर्ड अकाउंटेन्ट अधिनियम 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत कोई चार्टर्ड अकाउंटेन्ट ; या

(ii) कोई व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबंधों के आधार पर किसी राज्य के संबंध में उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के संपरीक्षक के रूप में कृत्य करने के लिए नियुक्त होने का हकदार है ।

3. जहां इस रिपोर्ट में कथित किसी विषय का उत्तर नकारात्मक या सापेक्ष रूप में दिया जाता है, वहां रिपोर्ट में इसके कारणों का कथन किया जाएगा ।

उपाबंध क

[पैरा 2 देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 115त्रग के प्रयोजनों के लिए की समायोजित कुल आय और वैकल्पिक न्यूनतम कर की संगणना से संबंधित ब्यौरे

1.	निर्धारिती का नाम			
2.	निर्धारिती का पता			
3.	स्थायी लेखा संख्यांक			
4.	निर्धारण वर्ष			
5.	आय-कर अधिनियम के अध्याय 12खक को प्रभावी करने से पूर्व आय-कर अधिनियम अधिकथित रीति में संगणित निधारिती की कुल आय।			
6.	ऊपर स्तंभ 5 में निर्दिष्ट कुल आय पर संदेय आय-कर।			
7.	शीर्ष "ग" के अधीन अध्याय 6-क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौती की रकम-कतिपय आयों के संबंध में कटौतियां"	क्रम सं०	धारा जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया	दावा की गई कटौती की रकम
8.	धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौती की रकम।			
9.	निर्धारिती की समायोजित कुल आय (5 + 7 + 8)			
10.	वैकल्पिक न्यूनतम कर (ऊपर स्तंभ 9 में संगणित समायोजित कुल आय का 18.5 %)			

[अधिसूचना सं. 60/2011/फा. सं. 133/70/2011-एसओ (टीपीएल)]

राजेश कुमार भूत, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 2429(अ) तारीख 24-10-2011 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2011

INCOME-TAX

S.O. 2724(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act,1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (9th Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2012.

2. In the Income-tax Rules,1962, (hereafter referred to as the "said rules"), after rule 40B, the following rule shall be inserted, namely:-

"Special provisions for payment of tax by certain limited liability partnerships

40BA. The report of an accountant which is required to be furnished by the assessee under sub-section (3) of section 115JC, shall be in form No.29C."

3. In Appendix-II of the said rules, after Form No.29B, the following form shall be inserted, namely:-

"FORM NO. 29C

[*See* rule 40BA]

Report under section 115JC of the Income-tax Act, 1961 for computing adjusted total income and alternate minimum tax of the limited liability partnership

1. I/We* have examined the accounts and records of ______________________________
(name and address of the assessee with PAN)

engaged in business of ______________________________ in order to arrive at the adjusted
(nature of business)

total income and the alternate minimum tax for the year ended on the 31st March, __________

2. (a) I/We* certify that the adjusted total income and the alternate minimum tax has been computed in accordance with the provisions of Chapter XII-BA of the Income-tax Act. The tax payable under section 115JC of the Income-tax Act in respect of the assessment year __________ is Rs. __________, which has been determined on the basis of the details in Annexure A to this Form.

3. In my/our * opinion and to the best of my/our* knowledge and according to the explanations given to me/us* the particulars given in the Annexure A are true and correct.

Date __________

____

Signed
† Accountant

Notes:

1.*Delete whichever is not applicable.

2. †This report is to be given by-

(i) a Chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or

(ii) any person, who in relation to any State, is by virtue of the provisions in sub-section (2) of section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), entitled to be appointed to act as an auditor of companies registered in that State.

3. Where any of the matters stated in this report is answered in the negative or with a qualification, the report shall state the reasons therefor.

ANNEXURE A

[See paragraph 2]

Details relating to the computation of Adjusted Total Income and Alternate Minimum Tax for the purposes of section 115JC of the Income-tax Act, 1961

1.	Name of the assessee			
2.	Address of assessee			
3.	Permanent Account Number			
4.	Assessment year			
5.	Total income of the assessee computed in the manner laid down in the Income-tax Act before giving effect to Chapter XII BA of the Income-tax Act			
6.	Income-tax payable on total income referred to in Column 5 above			
7.	The amount of deduction claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading "C." – Deductions in respect of certain incomes"	Sl. No.	Section under which deduction claimed	Amount of deduction claimed
8.	The amount of deduction claimed under section 10AA			
9.	Adjusted total income of the assessee (5 +7 + 8)			
10.	Alternate minimum tax (18.5% of adjusted total income computed in column 9 above)"			

[Notification No. 60/2011/F. No. 133/70/2011-SO(TPL)]
RAJESH KUMAR BHOOT, Director (Tax Policy and Legislation)

Note: The principal rules were published vide notification No. S.O. 969(E), dated the 26th March 1962 and last amended vide notification No. S.O. 2429(E), dated the 24th October, 2011.

4376 GI/11–2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.